



UPBJ010043982020

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074

सेशनस केस संख्या 966/2020

सरकार

बनाम

श्रीराम सिंह आदि

आरोप

मैं अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण अजय पाण्डेय, विजय पाण्डेय, ओमप्रकाश पाण्डेय को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ—

1— यह कि दिनांक 14.05.2020 को समय 19.00 बजे स्थान नगीना कताई मिल लेकर कालोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर में आपने वादी मुकदमा मुन्ने के साथ अपराध कारित करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा मुन्ने व उसके परिजनो को लाठी-डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुन्ने व उसके परिजनो को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुन्ने व उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुन्ने व उसके परिजनो को अपमानित करने के आशय से लाठी डण्डा व चाकू से मारपीट कर गन्दी-2 गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस

न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुन्ने व उसके परिजनो को लाठी डन्डा व चाकू से मारपीट कर गन्दी-2 गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)घ** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 06-12-2023

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)

बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 06-12-2023

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)

बिजनौर।

UPBJ010043982020

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 966/2020

सरकार

बनाम

श्रीराम सिंह आदि

06-12-2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण अजय पाण्डेय, विजय पाण्डेय, ओमप्रकाश पाण्डेय जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण अजय पाण्डेय, विजय पाण्डेय, ओमप्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध धारा 147, 323/149, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस. टी. एक्ट में के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनांक 06-12-2023

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण अजय पाण्डेय, विजय पाण्डेय, ओमप्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध धारा 147,323/149,504,506 भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस. सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक -01-2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनांक 06-12-2023

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।